mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नगद भुगतान/369/II पार्ट/2024/107 भोपाल, दिनांक 20/5/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)।

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
______ जिला - ______ (समस्त)।

विषय - कृषकों को उनकी कृषि उपज का पूर्ण एवं त्वरित भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भ - कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नियमन/भुगतान/369/2084 दिनांक 13.12.2022।

कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के मूल्य का पूर्ण एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराना कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य में सम्मिलित है। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की *धारा 17(2)(सात)*, *धारा 17(2)(तेरह)(क)*, *धारा 37(2)* तथा मंडी समितियों के लिए उपविधि 2000 अंतर्गत उपविधि कंडिका **17(4)**, कंडिका **17(5)** में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित है।

2. इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न पत्रों के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसी संबंध में जारी संदर्भित पत्र का भी अवलोकन करें।

3. विक्रेता कृषक को नगद एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान की प्रक्रिया एवं प्रावधान पूर्णरूपेण स्पष्ट है।

4. किंतु भुगतान के इन प्रावधानों का पूर्णतः पालन कृषि उपज मंडियों में नहीं होना संज्ञान में आता रहा है जिससे कृषक भुगतान व्यतिक्रम के प्रकरण प्रकाश में आ रहे है। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कृषि उपज मंडी समितियों में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए -

4.1. **क्रेता व्यापारी से विक्रेता/ कृषक को निर्धारित समय-सीमा में नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।**

4.2. **मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में हुए प्रवेश, अनुबंध, तौल, भुगतान का दैनिक रूप से मिलान सुनिश्चित कराया जाए।**
जारी अनुबंध की तुलना में भुगतान पत्रकों की अप्राप्ति की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए।

4.3 **क्रेता व्यापारी द्वारा मंडी समिति के कार्यालय में भुगतान पत्रकों की निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुति सुनिश्चित कराई जाए ।**
इसमें विलंब होने पर संबंधित व्यापारी को आगामी व्यापार हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, संबंधित क्रेता व्यापारी की ई-अनुज्ञा आईडी, स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए डिएक्टिव की जाएगी।

4.4 **विक्रेता/ कृषकों को नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान हो जाना सुनिश्चित कर लेने के उपरांत ही ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रकों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए।**

तदुपरांत मंडी शोध्यों का भुगतान सुनिश्चित कर ही कृषि उपज निकासी/ ई-अनुज्ञा की अनुमति दी जाएगी।

4.5 डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से कृषकों को भुगतान की स्थिति में विक्रेता/ कृषक के बैंक खाते का विवरण एवं संव्यवहार के UTR नंबर की पूर्ण प्रविष्टि एवं मिलान करने के उपरांत ही भुगतान पत्रक का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए।

5. आंचलिक अधिकारी तथा संभागीय निरीक्षण दल के द्वारा मंडियों में भ्रमण/ निरीक्षण के दौरान, भुगतान व्यवस्था का भी रेंडम तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसमें आंचलिक कार्यालयों के स्तर से सतत समीक्षा भी आवश्यक है।

6. उपरोक्त प्रावधानों एवं निर्देशों के पालन में अभाव में कृषक भुगतान में व्यतिक्रम होने पर आंचलिक अधिकारी यथाशीघ्र निम्न कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे -

6.1 संबंधित कृषक का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान।

6.2 संबंधित व्यापारी पर मंडी समिति के स्तर से प्रतिबंधात्मक/ दंडात्मक कार्यवाही।

6.3 **राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा के किसी सदस्य की संलिप्तता प्रकाश में आने पर, प्रत्यायोजित प्रशासनिक अधिकारों की सीमा अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ/ मुख्यालय स्तर से कार्यवाही का प्रस्ताव।**

7. उक्तानुसार निर्देशों का शब्दशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

19/05/24

(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नगद भुगतान/369/II पार्ट/2024/ 108 **भोपाल, दिनांक 20/5/2024**

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1) अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय।

2) चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल